2020/00071

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :–अनीता मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 6 / 2020(राजसमन्दआर्डर)

1. केशुलाल पिता स्व. भूरू गमेती, निवासी भूरी का भीलवाड़ा रत्नावतो की भागल (गांवगुडा), तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)
2. किशनलाल पिता स्व. भूरू गमेती, निवासी भूरी का भीलवाड़ा रत्नावतो की भागल (गांवगुडा), तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. रूपलाल पिता उदा जी खटीक, निवासी रत्नावतो की भागल (गांवगुडा), तहसील खमनोर
2. चम्पालाल पिता उदा जी खटीक, निवासी रत्नावतो की भागल (गांवगुडा), तहसील खमनोर
3. प्रेमचन्द पिता उदा जी खटीक, निवासी रत्नावतो की भागल (गांवगुडा), तहसील खमनोर
4. मनोहरलाल पिता उदा जी खटीक, निवासी रत्नावतो की भागल (गांवगुडा), तहसील खमनोर
5. नाथूलाल पिता अमरा जी खटीक, निवासी रत्नावतो की भागल (गांवगुडा), तहसील खमनोर
6. भूरसिंह पिता दलसिंह जी राजपूत, निवासी रत्नावतो की भागल (गांवगुडा), तहसील खमनोर
7. किशनसिंह पिता रतनसिंह जी राजपूत, निवासी रत्नावतो की भागल (गांवगुडा), तहसील खमनोर
8. कालूसिंह पिता नाथूसिंह जी राजपूत, निवासी रत्नावतो की भागल (गांवगुडा), तहसील खमनोर
9. भंवरसिंह पिता केसरसिंह जी राजपूत, निवासी रत्नावतो की भागल (गांवगुडा), तहसील खमनोर
10. तलवरसिंह पिता तेजसिंह जी राजपूत, निवासी रत्नावतो की भागल (गांवगुडा), तहसील खमनोर
11. बालूसिंह पिता गंगासिंह जी राजपूत, निवासी रत्नावतो की भागल (गांवगुडा), तहसील खमनोर
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, खमनोर, जिलाराजसमन्द (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थानकाश्तकारी अधिनियम1955 विरूद्व निर्णय
उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा प्रकरण संख्या 566 / 2017दिनांक24.02.2020

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री फतहलाल बोहराअभिभाषकअपीलान्टगण
2. श्री सुरेश खटीक अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 से 5
2. राजकीय अभिभाषकरेस्पोन्डेन्ट संख्या 12

———::———

निर्णयदिनांक 21—11—2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम रत्नावतो की भागल की आराजी नं. 6607 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा प्रार्थी के पिता स्वर्गीय पिता भूरू पिता भेरा [illegible] को [illegible] हेतु दिनांक 19—01—1975 को आवंटित कर जिलाधीश उदयपुर द्वारा पट्टा प्रदान किया गया, तब से प्रार्थीगण का

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:14:14 IST
Reason: SelfAttested

अपने पिता के समय से कब्जा चला आ रहा है, किन्तु राजस्व रेकार्ड में अमल नहीं होने से वर्तमान में उक्त आराजी जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 के अनुसार आराजी नंबर 3911/3007 रकबा 7½ बिस्वा पर विपक्षी संख्या 1 से 5 ने नाजायज अतिक्रमण कर आवासीय निर्माण करा लिया तथा मना करने पर लडाई झगडा करते हैं तथा बकाया रकबे पर प्रार्थीगण का कब्जा होकर बाउण्ड्रीवाल बनायी, जिसे विपक्षी संख्या 6 से 11 ने जे.सी.बी. मशीन से नष्ट कर खुला कर दिया, जिसकी सूचना प्रार्थी द्वारा थाना खमनोर व तहसीलदार के यहां दी गयी, जिस पर जांच चल रही है। अतः विपक्षीगण इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि मूलवाद के निस्तारण तक विवादित आराजी नंबर 3007 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करें, न ही किसी अन्य से करावें तथा कोट एवं बाउण्ड्रीवाल को नष्ट नहीं करें।

विपक्षी संख्या 1 संख्या 1 से 5 द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर प्रति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि आराजी नंबर 3911/3007 रकबा 7½ बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 1 से 5 के खातेदारी में दर्ज होकर मालिक हैं, जिस पर उनके पक्के मकान बने हुए हैं, जिस पर प्रार्थीगण का कोई स्वत्व व आधिपत्य नहीं है। उक्त आराजी प्रार्थीगण के पिता को कभी भी आवंटित नहीं की गयी इस कारण प्रार्थीगण किसी प्रकार की घोषणा के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 24–02–2020 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया तथा विपक्षी संख्या 1 से 5 का प्रति प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण को जरिसे अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश खटीक उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के वाद को समझने में कानूनी भूल की है, जबकि अपीलान्ट का वाद धारा 88, 92 ए रा.का.अ. के तहत है, जिसके अधिकार दावे की ट्रायल के बाद ही निर्धारित होंगे तथा मौजूदा दावे में टी.आई. जारी नहीं करने से प्रार्थीगण/अपीलान्टगण को अशोभनीय क्षति होगी, क्योंकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 ने मौके की स्थिति बदल दी है तथा टी.आई. की आड़ में बदलने की संभावना है। इसलिए न्यायहित में दोनों [illegible] मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जाना आवश्यक है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:14:14 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय निरस्त किया जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण द्वारा चाहा गया अनुतोष उन्हें दिलाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का जवाब देते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि अनुसार बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रथम दृष्टया मामला पर विवेचन करते हुए माना कि आराजी नंबर 3911/3007 राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण के पक्ष में जो पट्टा जारी किया गया है वह राजस्व ग्राम रत्नावतों की भागल की आराजी नंबर 3007 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा का है, किन्तु प्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि विवादित आराजी नंबर 3911/3007 आवंटित पट्टे में अंकित आराजी नंबर 3007 का भाग हो। कब्जे बाबत् भी अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी नंबर 3911/3007 का विपक्षी संख्या 1 से 5 को खातेदार होने तथा उनके मकान बने होने से कब्जा विपक्षी संख्या 1 से 5 का माना है साथ ही भू0अ0नि0 कोशीवाडा की प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण जिस स्थान को अपनी आवंटित भूमि बताते है वो स्थान वर्तमान मे ग्राम गांवगुडा मे है और उसकी आराजी संख्या 4893किस्म चरनोट दर्ज है व अतिक्रमण मुक्त है। इसी आधार पर प्रथम दृष्टया मामला अपीलान्ट/प्रार्थीगण के विरूद्ध एवं विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 के पक्ष में माना है तथा प्रथम दृष्टया मामलाहोने पर किये गये विवेचन के आधार पर सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी अपीलान्ट/प्रार्थीगण के बजाय विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 में मानते हुए अपीलान्ट/प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर विपक्षी संख्या 1 से 5 का प्रति प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी नंबर 3911/3007 रकबा 7½ बिस्वा बाबत् विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करते हुए अपीलान्ट/प्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24–02–2020 यथावत रखा जाता है।पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 21–11–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:14:14 IST
Reason: SelfAttested